न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला—बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 71 / 2021 ता0 रजू 19.07.2021

GCMS ID-2021/109

उनवान

1. हेमराज आ0 लाल्या जाति मीणा निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. गंगादेवी पत्नी स्व0 लाल्या जाति मीणा निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. श्रीमती सीमा पत्नी स्व0 मानसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. दीपक कुमार आ0 स्व0 स्व0 मानसिंह जर्ये संरक्षक माता श्रीमती सीमा पत्नी स्व0 मानसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. कुमारी दीपिका पुत्री स्व0 मानसिंह जाति मीणा जर्ये संरक्षक माता श्रीमती सीमा पत्नी स्व0 मानसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—वादीगण—

बनाम

1. जगदीश आ0 लाल्या जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
2. रामकिशन आ0 माधो जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
3. शंकर आ0 माधो जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
4. बाबू आ0 माधो जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
5. राजू आ0 माधो जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
6. मन्नी बेवा माधो जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
7. सुनिता पुत्री माधो जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
8. रामघणी पुत्री माधो जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
9. काली पुत्री माधो जाति मीणा निवासी बासनी तहसील हिण्डोली, बून्दी।
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत :— तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

श्री चन्द्रप्रकाश जैन वकील वादीगण

प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांकः—31.01.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खसरा संख्या 15 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 116 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 117 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 585 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 822 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1377 करबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1392 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

230 के अनुसार उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 2 लगायत 8 तक का हिस्सा 1/2 अंकित है। वादीगण में एक सहखातेदार रामकुमार का लाओलाद स्वर्गवास लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है एवं खातेदार मानसिंह का स्वर्गवास 25.04.2016 को हो चुका है। रामकुमार का हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 में बराबर शामिल हो गया है वादी संख्या 3 से 5 मृतक मानसिंह के वारिसान है प्रतिवादी क्रम 3 वादी क्रम 4 व 5 की माता व संरक्षक है जो उनके हीतों का ध्यान रख सकती है उनकी ओर से यह वाद उनकी माता की ओर से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी क्रम संख्या 1 का 1/8 हिस्सा वादी क्रम संख्या 2 का 1/8 हिस्सा वादी क्रम संख्या 3 से 5 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 2 से 8 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमियां अभी संयुक्त है विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है मौके पर अभी संयुक्त रूप से ही आपसी सहमति से बिना विधिवत बंटवारा हुआ काश्त कर रहे है। विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण पक्षकारों में लगान, पिलाई व अन्य खर्चो में विवाद उत्पन्न होने लग गया है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी बाधा आ रही है। वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा कराने के लिए एक सप्ताह पूर्व कहां लेकिन प्रतिवादीगण ने मना कर दिया और प्रतिवादी जगदीश झगडा करने पर आमादा हो गया है और वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी यही वाद कारण है। वादी संख्या 1 अपना 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 अपना 1/8 हिस्सा वादी संख्या 3 से 5 अपना 1/8 हिस्सा अलग विधिवत बंटवारा करवाने के अधिकारी है एवं बंटवारा अनुसार कब्जे में रद्दोबदल करवाने के अधिकारी है। वाद कारण एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण बंटवारा से इन्कार कर देने के कारण व जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने के कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः वादपत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 9 भूमि धारी होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है। उसके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है। कृषि भूमिया ग्राम बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है अतः श्रीमान को यह दावा सुनने का अधिकार प्राप्त है। वाद का मुल्यांकन 1000/—रूपये निश्चित किया जाता है जिसकी निश्चित कोई फीस व उचित तलबाने पर यह वादपत्र पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पख में पंच प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री वाद व्यय सहित प्रदान की जावे। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी संख्या 1 अपना 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 अपना 1/8 हिस्सा वादी संख्या 3 से 5 अपना 1/8

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 2 से 8 का 1/2 हिस्सा विधिवत बंटवारा कयिा जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाते अंकित फरमाया जावें। विधिवत बंटवारे के अनुसार जो भी जिस पक्षकार के हिस्से में आवे तदअनुसार कब्जे में रद्दोबदल फरमाकर पक्षकार को कब्ज़ा सम्भलाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो वह दी जावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी नं. 01 लगायत 09 वाबजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। प्रतिवादी संख्या 10 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 223 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम बासनी पटवार मण्डल बासनी तहसील हिण्डोली पेश किये है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 05.10.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/24/225 दिनांकः– 01.03.2024 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम बासनी की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :—

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. गंगादेवी पत्नी लाल्या हिस्सा 1/5 जाति मीना सा0देह खातेदार 2. जगदीश पुत्र लाल्या हिस्सा 1/5 जाति मीना सा0 देह खातेदार 3. मानसिंह पुत्र लाल्या हिस्सा 1/5 जाति मीना सा0 देह खातेदार 4. रामकुवार पुत्र लाल्या हिस्सा 1/5 जाति मीना सा0 देह खातेदार 5. हेमराज पुत्र लाल्या हिस्सा 1/5 जाति मीना सा0 देह खातेदार	585 1377 1394 822/2	0.1376 0.1133 0.3723 0.0121
	योग	किता— 4	0.6353
2.	1. काली पुत्री माधो हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार 2. बाबू पुत्र माधो हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार 3. मन्नी पत्नी माधो हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार 4. राजू पुत्र माधो हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार 5. रामकिशन पुत्र माधो हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार 6. रामघणी पुत्री माधो हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार। 7. शंकर पुत्र माधो हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार 8. सुनिता पुत्री माधो हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0 देह खातेदार रहन जमाबंदी अनुसार	115 116 117 822/1	0.0971 0.0890 0.1700 0.2793
	योग	किता—04	0.6354

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

नक्शे में वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमियों को नीले पेन से त्रिभुजाकार रूप में व प्रतिवादीगण के हिस्सो में रहने वाली भूमियों को नीले पेन से गोले के रूप में दर्शाया गया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)